BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. **915 of 2024**

IN THE MATTER OF

Amit Kumar …...Applicant

VERSUS

Union of India & Ors. …...Respondents

Index in Additional Submissions by Applicant

S. No.	Particulars	Page No.
1.	**Index**	**1**
2.	**Additional Submission by Applicant**	**2 - 4**
3.	**Annexure A-1 (colly): Email dated 30.12.2025 received from villagers along with the combined annexures.**	**5 - 12**

Filed by:

Amit

Amit Kumar
(Applicant in person)
Phone: +91 9050487878
Email: amit0123.ac@gmail.com
Place: New Delhi
Date: 03.01.2026

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. **915 of 2024**

IN THE MATTER OF

Amit Kumar …...Applicant

VERSUS

Union of India & Ors. …...Respondents

Additional Submissions by Applicant

(Placing on record the representations received from affected villagers)

Most Respectfully Submitted:

1. That the present Original Application No. 915/2024 is pending adjudication before this Hon'ble Tribunal, wherein the Applicant has approached this Hon'ble Tribunal in public interest raising serious environmental and legal issues concerning forest governance, land use, and protection of ecology, while ensuring compliance with constitutional and statutory safeguards.

2. That during the pendency of the present proceedings, the Applicant has received a detailed written representation vide email dated 30.12.2025 from the residents of Majra Shivnagar, Banipur and Shyam Nagar, falling under Gram Panchayat Bibipur Jalalabad, District Shamli, Uttar Pradesh, through their representative Shri Vinod Kumar Kashyap and others.

3. That the said villagers have specifically requested the Applicant, who is the Applicant in O.A. No. 915/2024, to place their grievance, facts, and supporting documents on record before this Hon'ble Tribunal, as the actions complained of are directly connected with the subject matter and consequences arising from the issues involved in the present Original Application.

4. That the Applicant is placing the said facts on record bonafide, without any personal interest, and solely to assist this Hon'ble Tribunal in arriving at a just, fair decision, particularly where large-scale human, environmental, and constitutional concerns intersect.

FACTS REQUESTED TO BE BROUGHT TO THE NOTICE OF THIS HON'BLE TRIBUNAL

5. The villagers of the aforesaid habitations have stated that they are living in an atmosphere of constant fear, insecurity, and coercion, on account of sudden eviction and demolition notices issued by the Forest Department, District Shamli, allegedly without following due process of law.

6. It has been asserted that:
   - The said habitations have existed for more than four to five generations;
   - The population of the affected villages is approximately 2500–3000 persons;
   - The residents belong to economically and socially vulnerable communities including Dhiwar/Kashyap, Pal/Dhangar, Balmiki and Prajapati communities.

7. The villagers have categorically stated that they were in settled possession of the land prior to 1947, and much before the issuance of notification under Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 in the year 1955, and even prior to the alleged declaration under Section 20 in 1971.

8. It is further stated that:
    - No effective site inspection was conducted at the time of forest notification;
    - No individual or community-level notice or hearing was granted to the affected residents;
    - The mandatory legal procedure under the Indian Forest Act was not followed in letter or spirit.

9. The villagers have also pointed out that the State of Uttar Pradesh itself has continuously treated the area as inhabited abadi land, as evidenced by:
    - Allotment of houses under Pradhan Mantri / Mukhyamantri Awas Yojana;
    - Provision of drinking water connections under Jal Jeevan Mission;
    - Electricity connections;
    - Construction of pucca roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana.

10. It has been specifically contended that if their occupation was illegal, such long-standing governmental recognition and provision of civic amenities would not have been extended by multiple departments of the State over decades.

11. The villagers have further placed on record that repeated representations have been made before:
    - The Hon'ble Chief Minister's Office, Uttar Pradesh, wherein directions were issued by senior officers to the District Magistrate, Shamli;
    - The Hon'ble Minister of State (Independent Charge), Forest & Environment Department, Uttar Pradesh, who issued a letter dated 04.11.2025 for just and lawful action;
    - The Uttar Pradesh Backward Classes Commission, which issued communications dated 13.11.2025 and 23.12.2025 recommending protection of the villagers' rights.

12. Despite the above, it has been alleged that no final, reasoned, or lawful decision has been taken, and demolition actions are being attempted with police force, causing grave apprehension of irreparable harm.

REPRESENTATIONS BEFORE CONSTITUTIONAL AND STATUTORY AUTHORITIES

13. The villagers have further placed on record that repeated representations have been made before:
    - The Hon'ble Chief Minister's Office, Uttar Pradesh, wherein directions were issued by senior officers to the District Magistrate, Shamli;
    - The Hon'ble Minister of State (Independent Charge), Forest & Environment Department, Uttar Pradesh, who issued a letter dated 04.11.2025 for just and lawful action;
    - The Uttar Pradesh Backward Classes Commission, which issued communications dated 13.11.2025 and 23.12.2025 recommending protection of the villagers' rights.

14. Despite the above, it has been alleged that no final, reasoned, or lawful decision has been taken, and demolition actions are being attempted with police force, causing grave apprehension of irreparable harm.

HUMANITARIAN, CONSTITUTIONAL AND ENVIRONMENTAL DIMENSIONS

15. The Applicant respectfully submits that:

- Environmental protection cannot be enforced through arbitrary, coercive, and one-sided actions, especially against settled populations without lawful determination;
- The principles of sustainable development, environmental justice, and inter-generational equity, as recognised by this Hon'ble Tribunal, require a balanced and humane approach;
- Forced eviction without rehabilitation, survey, and due process raises serious concerns under Articles 14, 21, and 300A of the Constitution of India.

16. The villagers have specifically requested:
    - Constitution of a joint survey committee comprising Revenue, Forest, and Panchayat departments;
    - Objective demarcation of actual forest land and long-settled abadi areas;
    - Maintenance of status quo and immediate restraint on demolition till lawful decision is completed.

<u>LIMITED PRAYER FOR PLACING FACTS ON RECORD</u>

17. In view of the above, the Applicant does not seek any independent relief for himself through this submission, but respectfully prays that this Hon'ble Tribunal may:
    (a) Take on record the representation/email dated 30.12.2025 along with annexed documents submitted by the villagers of Majra Shivnagar, Banipur and Shyam Nagar, gram panchayat Bibipur Jalabad, District Shamli;
    (b) Consider these subsequent facts while adjudicating O.A. No. 915/2024, especially in relation to actions taken by the Forest Department affecting human habitations;
    (c) Pass such further or other orders as this Hon'ble Tribunal may deem fit in the interest of justice, equity, environmental protection, and rule of law.

AND FOR THIS ACT OF KINDNESS, THE APPLICANT AS IN DUTY BOUND SHALL EVER PRAY

<u>VERIFICATION</u>

Verified at **<u>New Delhi</u>** on this **<u>3rd</u>** day of **<u>January</u>** 2026 that the contents of the above submission, are correct and true to the best of our knowledge, belief, and official records. No part of it is false, and nothing material has been concealed therein.

Filed by:

Amit

Amit Kumar
(Applicant in person)
Phone: +91 9050487878
Email: amit0123.ac@gmail.com
Place: New Delhi
Date: 03.01.2026

Gmail

Amit Kumar <amit0123.ac@gmail.com>

विषय: ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद के मजरा शिवनगर, बानीपुर एवं श्यामनगर के निवासियों की ओर से हमारा पक्ष एवं व्यथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध।

1 message

Vinod kumar <vsk23190@gmail.com> Tue, Dec 30, 2025 at 12:09 PM
To: Amit Kumar <amit0123.ac@gmail.com>
Cc: pccf-up@nic.in, dmshm@nic.in, judicial-ngt@gov.in, ecovigilsociety@gmail.com, csup@nic.in, "envsection7@gmail.com" <envsection7@gmail.com>

सेवा में,
अमित कुमार (याचिकाकर्ता ओ.ए. संख्या 915/2024, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, दिल्ली

विषय: ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद के मजरा शिवनगर, बानीपुर एवं श्यामनगर के निवासियों की ओर से हमारा पक्ष एवं व्यथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध।

महोदय,
हम सभी ग्रामवासी (धीवर/कश्यप, पाल/धनगर, बाल्मीकि व प्रजापति समुदाय) मजरा शिवनगर, बानीपुर एवं श्यामनगर, ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, जनपद शामली के निवासी हैं। हमें शामली वन विभाग के माध्यम से आपका संपर्क विवरण प्राप्त हुआ है, जिसके प्रकरण में हम यह पत्र/ईमेल आपको प्रेषित कर रहे हैं।

वर्तमान में हम सभी ग्रामवासी अत्यंत भय और असुरक्षा के वातावरण में जीवन व्यतीत कर रहे हैं क्योंकि वन विभाग द्वारा हमें अचानक बेदखली और हमारे आवासीय घर खाली करने के नोटिस थमा दिए गए हैं, जिसमें 'एकतरफा कार्यवाही' हुई है। स्थिति यह है कि आए दिन वन विभाग की टीम पुलिस बल के साथ हमारे घरों को गिराने (ध्वस्तीकरण) पहुँच रही है ।

हम इन गाँवों में पिछले चार-पांच पीढ़ियों से निवासरत हैं और हमारी कुल आबादी लगभग 2500 से 3000 के बीच है । हमारे पास ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हैं जो सिद्ध करते हैं कि हम आजादी (1947) से पहले और भारतीय वन अधिनियम की धारा-4 (वर्ष 1955) के अंतर्गत हमारे गाँव की भूमि को आरक्षित वन घोषित होने से पूर्व ही यहाँ बसे हुए हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमारे गाँवों में निरंतर विकास कार्य किए गए हैं। हमें प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर, जल जीवन मिशन के तहत पेयजल, बिजली कनेक्शन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पक्की सड़कें प्राप्त हैं। यदि हमारा निवास अवैध होता, तो सरकार द्वारा ये मूलभूत सुविधाएं और मालिकाना हक के प्रमाण क्यों दिए जाते?

वन विभाग द्वारा वन अधिनियम के तहत वर्ष 1955 (धारा 4) और 1971 (धारा 20) में हमारे गाँव की आवासीय भूमि को आरक्षित वन घोषित करने की प्रक्रिया पूरी तरह त्रुटिपूर्ण रही है, क्योंकि उस समय किसी भी अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण नहीं किया गया और न ही हमें कोई सूचना दी गई।

हमने अपनी इस गंभीर समस्या के समाधान हेतु उत्तर प्रदेश शासन के उच्च स्तर पर निरंतर गुहार लगाई है। इस संबंध में हमने माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र सौंपे, जिस पर श्री अजय कुमार ओझा (संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय) और श्री एन० के० एस० चौहान (विशेष कार्याधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय) द्वारा संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी शामली को त्वरित व नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में, डॉ. अरुण कुमार, माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने दिनांक 04 नवंबर 2025 को प्रमुख सचिव को न्यायोचित कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया है। इसके अतिरिक्त, माननीय सचिव, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने दिनांक 13 नवंबर 2025 को जिलाधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी शामली को तथा आयोग के माननीय सदस्य श्री रमेश गौड़ कश्यप ने दिनांक 23 दिसंबर 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे पक्ष में विस्तृत अनुशंसा पत्र लिखे हैं। अत्यंत खेद का विषय है कि इन सभी उच्च स्तरीय निर्देशों और संवैधानिक संस्थाओं के पत्रों के उपरांत भी वर्तमान में कार्यवाही लंबित है और हमें अभी तक प्रशासन की ओर से कोई भी निर्णयात्मक या न्यायोचित राहत प्राप्त नहीं हुई है।

महोदय, हम सभी अत्यंत निर्धन और दिहाड़ी मजदूर हैं। यदि हमारे घर उजाड़ दिए गए, तो हमारे पास जाने के लिए कोई अन्य स्थान नहीं है और हम पूरी तरह से बेघर हो जाएंगे। अतः आपसे निवेदन है कि चूँकि आपकी याचिका जिसके प्रकरण में यह सब हो रहा है एवं जिसकी ओ.ए. संख्या 915/2024 है, माननीय एनजीटी के समक्ष लंबित है, कृपया मानवता के नाते हमारे इस पक्ष और संलग्न दस्तावेजों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें। हमारी मांग है कि शासन स्तर पर राजस्व, वन और पंचायत विभाग की एक संयुक्त सर्वेक्षण टीम गठित कर हमारे आबादी क्षेत्र का निष्पक्ष व सही सीमांकन किया जाए; और चूँकि हम यहाँ वर्ष 1947 से पूर्व एवं वर्ष 1955 की वन अधिनियम की धारा 4 की अधिसूचना जारी होने से भी पहले से काबिज हैं, अतः इस संपूर्ण क्षेत्र को विधिवत 'आबादी भूमि' घोषित कर हमें मालिकाना हक दिया जाए, साथ ही जिला स्तरीय समिति के किसी भी अंतिम निर्णय होने तक ध्वस्तीकरण की किसी भी दमनकारी व एकतरफा कार्यवाही पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।
आपकी इस सहायता के लिए समस्त ग्रामवासी सदैव आपके ऋणी रहेंगे।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,
समस्त ग्रामवासी - मजरा शिवनगर, बानीपुर एवं श्यामनगर
ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, जनपद - शामली, उत्तर प्रदेश
द्वारा प्रतिनिधि: विनोद कुमार कश्यप व अन्य
फोन नंबर: +91 94661 40787
ईमेल: vsk23190@gmail.com

Annexures_Combined.pdf
715K

894

डा.अरूण कुमार

एम.बी.बी.एस. (लखनऊ)
डी.एन.बी., एफ.सी.जी.पी.

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश

कक्ष संख्या – एफ ब्लाक 1/2
प्रथम तल, बापू भवन,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
कार्यालय : 0522–2235740
सी.एच. : 0522–2214800

प्रमुख सचिव,
वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान
एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

कृपया समस्त ग्रामवासी शिवनगर और बानीपुर ग्राम पंचायत–बीबीपुर जलालाबाद, विकास खंड ऊन तहसील कैराना, जिला शामली व इनके पत्र के साथ श्री रमेश गौड़ कश्यप, मा0 सदस्य, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उ0प्र0 के प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

अतः मय संलग्नक प्रार्थना पत्र में वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

04.11.2025

फोन : 0522–2287076
फैक्स: 0522–2287215

उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग, उ0प्र0
तृतीय तल, इन्दिरा भवन,अशोक मार्ग, लखनऊ

पत्रांकः 6020/553–शि0उ0–2025/रा0पि0व0आ0/2025 दिनांक– 13/11/2025

सेवा मे,

1–जिलाधिकरी,
शामली, उ0प्र0।
2–प्रभागीय वन अधिकारी,
वन प्रभाग, शामली, उ0प्र0

नोट : कृपया आयोग के पत्रों का सन्दर्भ (पत्रांक संख्या/तिथि) का अंकन अवश्य करें।

विषयः वन विभाग के द्वारा वेदखली व निवास स्थल खाली करवाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 सदस्य श्री रमेश गौड कश्यप, रा0पि0व0आ0। उ0प्र0 एक शिकायती पत्र दिनांक–30-10-2025 आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। (शिकायती पत्र की छाया प्रति संलग्न) इस मामले में पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग राष्ट्रपति अधिनियम संख्या–1,सन् 1996 की धारा–10 में प्रदत्त शक्तियों के अर्न्तगत मा0 आयोग ने जॉच एवं अन्वेषण करने का निर्णय लिया है अतएव मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण में विस्तृत आख्या/विवरण 10 दिन में मा0 आयोग को तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उल्लेखनीय है कि यदि आप आयोग के उपरोक्त निर्देशों का समयावधि के अर्न्तगत अनुपालन नहीं करते है तो आयोग आगामी उचित विधिक कार्यवाही करेगा। आप आयोग के निर्देशों के उलघ्घन के लिए सिविल न्यायालय नियमों/ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा–208, 210, 211, 213, 214 या 215 के प्रतिफल पाने के लिए प्रतिभागी होंगे।

संलग्नकः यथोक्त।

आज्ञा से

कृते सचिव,
उ0प्र0 पिछड़ा राज्य आयोग,

संख्या व दिनांकःतदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
शिकायतकर्ता मा0 सदस्य श्री रमेश गौड कश्यप, रा0पि0व0आ0।

कृते सचिव,
उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग,

896

रमेश गौड़ कश्यप
सदस्य

अर्द्ध शा. पत्र सं. /रा.पि.व.आ./
फोन नं0 :0522-2287076 कार्या0
:0522-2287215 फैक्स
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश
तृतीय तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग,
लखनऊ-226001

दिनांक 23/12/25

मा0 मुख्यमंत्री जी,
उ0प्र0 सरकार, लखनऊ।

कृपया अवगत कराना है कि ग्राम मजरा-शिवनगर एवं ग्राम बानीपुर (ग्रामसभा बीबीपुर जलालाबाद) जनपद शामली के **स्थाई निवासियों की बेदखली के नोटिस वन विभाग द्वारा संरक्षित वन भूमि से बेदखल किये जाने हेतु भेजी गई है।** इस सम्बन्ध स्थानीय निवासी विगत 140 वर्षों से निवास कर रहे हैं तथा अत्यंत गरीब हैं और अपने परिवारों का जीविकोपार्जन कर रहे हैं, जिससे बेदखल हो जाने के बाद पुर्नवास की स्थिति में नहीं है।

अतः महोदय जी से निवेदन है कि उक्त दोनों गांवों की जनता को भेजी गई नोटिस की जांच कराकर सम्बन्धित दोषी विभागों के कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही कराते हुए उक्त नोटिस को निरस्त कराने की कृपा करें, ताकि स्थानीय निवासी आपके जीवनभर आभारी रहेंगे।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

23.12.2025

रमेश कश्यप

सम्पर्क सूत्र- मो0 9891870462, 9625080562
निवास- ग्राम-मगलपुर, पोस्ट-पवतीकलां, थाना-कैंराना, शामली

CB00070316174 897

D. M. शामली

कृपया प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

18.12.25 (ओझा) अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में, श्रीमान मुख्य मन्त्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

विषय – ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद के गावं (मजरा) शिवनगर, बानीपुर और श्यामनगर में वन विभाग से प्राप्त बेदखली व निवास स्थल खाली कराने के नोटिसो से उत्पन समस्या के स्थायी समाधान हेतु निवेदन 1

आदरणीय महोदय जी –

हम सभी ग्रामवासी (धीवर (कश्यप), पाल (धनगर), बाल्मीकी, प्रजापति) समुदाय के यथा स्थिति ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, विकास खंड ऊन, तहसील कैराना थाना झिंझाना जिला शामली के मजरा (शिवनगर, बानीपुर एवं श्यामनगर) में चार/पांच पीढ़ियों से निवासरत हैं और उपरोक्त सभी ग्रामो की आबादी लगभग 2500 से 3000 के आस पास है जो कि आजादी से पहले उपरोक्त गाँव में निवास कर रहे है जिसके दस्तावेज इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो इस बात की पुष्टि करते है कि हम सभी ग्रामवासी धारा 4 (वर्ष 1955 मे) लागू होने से पहले इस भूमि पर निवासरत है और मजदूरी कर अपने परिवारों का भरण पोषण कर रहे है लेकिन पिछले कुछ समय से समस्त ग्रामवासी अत्यंत चिंता और असमंजस की स्थिति में है क्योंकि उपरोक्त गाँवों को वन क्षेत्र के अन्तर्गत दर्ज किये जाने के कारण प्रभागीय वनाधिकारी ऊन व शामली वनाधिकारी कार्यालय (वन विभाग) के द्वारा बिना किसी ग्राम सभा की अनुशंसा किए बिना बेदखली व निवास स्थल खाली करने के नोटिस लगातार प्राप्त हो रहे है जिससे ग्रामीणों में गहरा भय और असुरक्षा का वातावरण है 1 यह स्थिति तब और भी पीड़ादायक है जब शासन द्वारा उपरोक्त ग्रामो में निरंतर सभी योजनाओ के लाभ प्रदान किये जा रहे है 1 ग्रामवासियों को आपकी सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना / माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन के तहत पेयजल कनेक्शन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पक्की सड़के व बिजली कनेक्शन और अन्य मुलभुत सुविधाए प्राप्त है 1 इन सबके बावजूद अचानक मिले नोटिसो ने ग्रामवासियों को मानसिक रूप से व्यथित कर दिया है 1 आदरणीय महोदय जी उपरोक्त ग्रामवासी जिन जिन गाँव में निवास करते है उन सभी ग्रामो को वन विभाग के भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत धारा 4 (1955) में एवं धारा 20 (1971) में की अधिसूचना जारी कर निवासरत भूमि को आरक्षित वन घोषित किया गया था जो त्रुटी पूर्ण है क्योंकि आरक्षित वन प्रकिया तात्कालीन घोषित करने के दोरान सभी ग्राम (शिवनगर, बानीपुर एवं श्यामनगर) का स्थिलीय निरिक्षण वन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा या सम्बंधित अधिकारी द्वारा नहीं किया गया और ना ही उपरोक्त ग्रामवासियों को इस विषय में कोई भी सुचना दी गयी थी जबकि हम सभी समस्त ग्रामवासी आजादी के पहले से ही इस क्षेत्र में निवास कर रहे है अतः इस अधिसूचना को रद्द करने की कृपा करे और जिला अधिकारी शामली को आदेश दे कि सभी ग्रामो स्थलीय निरीक्षण करे और इस मामले से सम्बंधित दस्तावेज जो ग्रामवासियों के पास है उन सभी को देखकर इस अधिसूचना को निरस्त करने का प्रस्ताव (जिला अधिकारी) शामली एवं वन बंदोबस्त अधिकारी शामली (उप जिलाधिकारी) कैराना के द्वारा बनाकर शासन को भेजा जाये।

यह भी उल्लेखनीय है कि जमिदारा उन्मूलन अधिनियम के तहत जब वन विभाग को यह भूमि आवंटित की गयी थी तब भी हम सभी समस्त ग्रामवासी मौके पर काबिज थे अतः आरक्षित वन / सरक्षित वन घोषित करने की यह समस्त प्रक्रिया त्रुटी पूर्ण है क्योंकि हम सभी समस्त ग्रामवासी आजादी के पहले से ही इस क्षेत्र में निवास कर रहे है जिसके साक्ष्य इस पत्र के साथ संलग्न किये गये है इसलिए हम सभी ग्रामवासी आपसे करबद्ध

प्राप्त लो०शि०-2
18 DEC 2025
अन्य

898

प्रार्थना है कि प्रभावित राजस्व-वन-पंचायत-महिला, अनुसूचितजाति और पिछड़ी जाति के प्रतिनिधियों की संयुक्त सर्वेक्षण टीम गठित कर निवासरत भूमि को आबादी भूमि सीमांकित की जाए एवं निवास क्षेत्रों को "आबादी भूमि" घोषित किया जाए और जिलास्तरीय समिति (DLC) के अंतिम निर्णय तक किसी भी प्रकार की बल पूर्वक कार्यवाही पर रोक लगाई जाए जाये और वर्तमान में हमारे निवास स्थल का मालिकाना हक़ हमे दिया जाये 1

माननीय महोदय जी हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी संवेदनशीलता, न्यायप्रियता और लोकहित की भावना से प्रेरित निर्णय इस समस्या का आप स्थायी समाधान करेंगे 1 हम सभी ग्रामवासी आपकी कृपा और नेतृत्व में अपने ग्रामो की स्थायी पहचान प्राप्त होते देखने की आशा रखते है 1 धन्यवाद

संलग्न –

1- संबंधित दस्तावेज जो यह साबित करते है कि ये सभी ग्रामवासी आजादी से पहले इस भूमि पर निवासरत थे और अभी भी है उन सभी दस्तावेजो की प्रतिया 1
2- नोटिस प्राप्त ग्रामवासियों की सूची 1

दिनाक 17/12/2025

भवदीय
समस्त ग्रामवासी शिवनगर / बानीपुर / श्यामनगर
विनोद कुमार कश्यप – 9466140787

विनोद
जयवीर
सुनिल
जयविन्द्र
चमन
सुभाष
श्यामसिंह – पूर्व प्रधान

जनता दर्शन
यह प्रार्थना-पत्र मा० मुख्यमंत्री जी के शासकीय आवास पर आयोजित जनता दर्शन में दिया गया है।
18 DEC 2025

899 (63)

DM शामली
कृ. आख्या

सेवा में, श्रीमान माननीय मुख्य मन्त्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

विषय – ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद के गावं (मजरा) शिवनगर, बानीपुर और श्यामनगर में वन विभाग से प्राप्त बेदखली व निवास स्थल खाली कराने के नोटिसो से उत्पन समस्या के स्थायी समाधान हेतु निवेदन 1

(एन० के० एस० चौहान)
विशेष कार्याधिकारी, मुख्यमंत्री,
उ० प्र० शासन।

CB00070315895

आदरणीय महोदय जी –

हम सभी ग्रामवासी (धीवर (कश्यप), पाल (धनगर), बाल्मीकी, प्रजापति) समुदाय के यथा स्थिति ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद, विकास खंड ऊन, तहसील कैराना थाना झिंझाना जिला शामली के मजरा (शिवनगर, बानीपुर एवं श्यामनगर) में चार/पांच पीढ़ियों से निवासरत हैं और उपरोक्त सभी ग्रामो की आबादी लगभग 2500 से 3000 के आस पास है जो कि आजादी से पहले उपरोक्त गाँव में निवास कर रहे है जिसके दस्तावेज इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो इस बात की पुष्टि करते है कि हम सभी ग्रामवासी धारा 4 (वर्ष 1955 मे) लागू होने से पहले इस भूमि पर निवासरत है और मजदूरी कर अपने परिवारों का भरण पोषण कर रहे है लेकिन पिछले कुछ समय से समस्त ग्रामवासी अत्यंत चिंता और असमंजस की स्थिति में है क्योंकि उपरोक्त गाँवों को वन क्षेत्र के अन्तर्गत दर्ज किये जाने के कारण प्रभागीय वनाधिकारी ऊन व शामली वनाधिकारी कार्यालय (वन विभाग) के द्वारा बिना किसी ग्राम सभा की अनुशंसा किए बिना बेदखली व निवास स्थल खाली करने के नोटिस लगातार प्राप्त हो रहे है जिससे ग्रामीणों में गहरा भय और असुरक्षा का वातावरण है 1 यह स्थिति तब और भी पीड़ादायक है जब शासन द्वारा उपरोक्त ग्रामो में निरंतर सभी योजनाओं के लाभ प्रदान किये जा रहे है 1 ग्रामवासियों को आपकी सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना / माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन के तहत पेयजल कनेक्शन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पक्की सड़के व बिजली कनेक्शन और अन्य मुलभुत सुविधाए प्राप्त है 1 इन सबके बावजूद अचानक मिले नोटिसो ने ग्रामवासियों को मानसिक रूप से व्यथित कर दिया है 1

आदरणीय महोदय जी उपरोक्त ग्रामवासी जिन जिन गाँव में निवास करते है उन सभी ग्रामो को वन विभाग के भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत धारा 4 (1955) में एवं धारा 20 (1971) में की अधिसूचना जारी कर निवासरत भूमि को आरक्षित वन घोषित किया गया था जो त्रुटी पूर्ण है क्योंकि आरक्षित वन प्रकिया तात्कालीन घोषित करने के दोरान सभी ग्राम (शिवनगर, बानीपुर एवं श्यामनगर) का स्थिलीय निरिक्षण वन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा या सम्बंधित अधिकारी द्वारा नहीं किया गया और ना ही उपरोक्त ग्रामवासियों को इस विषय में कोई भी सुचना दी गयी थी जबकि हम सभी समस्त ग्रामवासी आजादी के पहले से ही इस क्षेत्र में निवास कर रहे है अतः इस अधिसूचना को रद्द करने की कृपा करे और जिला अधिकारी शामली को आदेश दे कि सभी ग्रामो स्थलीय निरीक्षण करे और इस मामले से सम्बंधित दस्तावेज जो ग्रामवासियों के पास है उन सभी को देखकर इस अधिसूचना को निरस्त करने का प्रस्ताव (जिला अधिकारी) शामली एवं वन बदोबस्त अधिकारी शामली (उप जिलाधिकारी) कैराना के द्वारा बनाकर शासन को भेजा जाये।

यह भी उल्लेखनीय है कि जमिदारा उन्मूलन अधिनियम के तहत जब वन विभाग को यह भूमि आवंटित की गयी थी तब भी हम सभी समस्त ग्रामवासी मौके पर काबिज थे अतः आरक्षित वन / सरक्षित वन घोषित करने की यह समस्त प्रकिया त्रुटी पूर्ण है क्योंकि हम सभी समस्त ग्रामवासी आजादी के पहले से ही इस क्षेत्र में निवास कर रहे है जिसके साक्ष्य इस पत्र के साथ संलग्न किये गये है इसलिए हम सभी ग्रामवासी आपसे करबद्ध

प्राप्त लो०शि०-2
18 DEC 2025
आख्या

900

प्रार्थना है कि प्रभावित राजस्व-वन-पंचायत-महिला, अनुसूचितजाति और पिछड़ी जाति के प्रति निधियों की संयुक्त सर्वेक्षण टीम गठित कर निवासरत भूमि को आबादी भूमि सीमांकित की जाए एवं निवास क्षेत्रों को "आबादी भूमि" घोषित किया जाए और जिलास्तरीय समिति (DLC) के अंतिम निर्णय तक किसी भी प्रकार की बल पूर्वक कार्यवाही पर रोक लगाई जाए जाये और वर्तमान में हमारे निवास स्थल का मालिकाना हक्क हमे दिया जाये 1

माननीय महोदय जी हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी सवेदनशीलता, न्यायप्रियता और लोकहित की भावना से प्रेरित निर्णय इस समस्या का आप स्थायी समाधान करेंगे 1 हम सभी ग्रामवासी आपकी कृपा और नेतृत्व में अपने ग्रामो की स्थायी पहचान प्राप्त होते देखने की आशा रखते है 1 धन्यवाद

संलग्न –

1- संबंधित दस्तावेज जो यह साबित करते है कि ये सभी ग्रामवासी आजादी से पहले इस भूमि पर निवासरत थे और अभी भी है उन सभी दस्तावेजो की प्रतिया 1
2- नोटिस प्राप्त ग्रामवासियों की सूची 1

नोट- सभी सबूत 1947 से पहले जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दिये जायेंगे

दिनाक 17/12/2025

भवदीय

समस्त ग्रामवासी शिवनगर / बानीपुर / श्यामनगर

विनोद कुमार कश्यप - 9466140787

श्यामसिंह

जयचन्द

जयवीर

सुनील

चमन